



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27012023-243256
CG-MH-E-27012023-243256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/ माघ 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/ MAGHA 5, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 425(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 18 जुलाई 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यां का.आ. 2924(अ), तारीख 28 जून 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राजकोट-कानालुस ब्रॉड गेज इकहरी लाइन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र 'गुजरात समाचार और टाइम्स ऑफ इंडिया' में दिनांक 06/07/2022 को उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (i) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

विषय: विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्: राजकोट- कानालूस गुजरात राज्य में ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य: गुजरात

जिला: राजकोट

क्रम संख्या	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि मालिक / इच्छुक व्यक्ति का नाम
तालुका: राजकोट, गाँव: माधापर					
1	22/1	निजी	गैर-कृषि (12 मीटर सड़क)	598.89	12 मीटर सड़क) (चेतन भाई धीरज लाल रोकड़) (नीलेश भाई छगन भाई शियानी)
2	5/1	निजी	कृषि	210.00	सुरेश भाई गांडू भाई भावनाबेन सुरेश भाई मोलिया अश्वित भाई सुरेश भाई मोलिया
3	5/2	निजी	कृषि	89.07	भानु भाई गंडू भाई
कुल				897.96	
तालुका: राजकोट गाँव: घंटेस्वर					
1	66	निजी	कृषि	548.00	राधाबाई लाभुभाई आहिर
2	28 पैकी	सरकार टी.पी.	गैर-कृषि	827.00	सरकारी टी.पी. कटौती
3	28 पैकी 4 पैकी 2	सरकार रोड डिडक्टेसन	गैर-कृषि (30 मीटर सड़क)	795.00	सरकारी सड़क कटौती
4	28 पैकी 3 पैकी 2	सरकार टी.पी.	गैर-कृषि (30 मीटर सड़क)	779.00	सरकारी टी.पी. कटौती
5	67 पैकी 1	निजी	कृषि	219.00	देवायत भाई वलेरा भाई हुम्बल मनवीर भाई वलेरा भाई हुम्बल अश्विन भाई वलेरा भाई हुम्बल
कुल				3168.00	
तालुका: राजकोट गाँव: पारा पिपलिया					
1	84/1	निजी	गैर-कृषि (30 मीटर डी.पी. सड़क)	622.24	30 मीटर डी.पी. (हीराभाई नारनभाई)
2	83/1	निजी	कृषि	499.00	रमेश भाई रायमल भाई करेथा अनिरुद्ध भाई रायमल भाई करेथा

3	83/2	निजी	कृषि	657.00	भानु भाई अला भाई वलूबे न भानु भाई करेथा विजय भाई भानु भाई करेथा करण भाई भानु भाई करेथा हंसा बेन भानु भाई करेथा पुत्र रोहित भाई डांगर
4	83/3	निजी	कृषि	668.00	गीता बेन जनक भाई महेता उमा बेन मनु भाई महेता हितेश कुमार भानु भाई महेता दीपक भाई बच्चू भाई डांगर भरत भाई बच्चू भाई डांगर
5	75	निजी	गैर-कृषि (30 मीटर सड़क)	1661.00	30 मीटर डी.पी. रोड (अशोक भाई करशन भाई राठौड़)
6	74	निजी	कृषि	1609.00	गनु बेन मेघजी भाई जगदीश भाई मेघजी भाई हसमुख भाई मेघजी भाई विक्रम भाई मेघजी भाई
7	85	निजी	गैर-कृषि (30 मीटर डी.पी. सड़क)	1203.00	30 मीटर डी.पी. रोड (जेठुर भाई नारन भाई राठौड़) (धर्मे श भाई नारन भाई राठौड़)
8	72 पाइकी 1 पाइकी 1	निजी	कृषि	300.00	मादिया दिलीप भाई गिरधर लाल
9	71 पाइकी 2	निजी	कृषि	518.00	वस्ता भाई रामा भाई
10	55	निजी	कृषि	44.00	दिलीप भाई मानेक चंद सेठ अल्का बेन दिलीप भाई सेठ हार्दिक भाई दिलीप भाई सेठ अंकिता बेन दिलीप भाई सेठ
कुल				7781.24	

[फा. सं. E-Office E-369802-2]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II (निर्माण) अहमदाबाद

MINISTRY OF RAILWAYS

[(Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2023

S.O. 425(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (published in the Gazette of India, under notification No, 2924 (E) of dated 28/06/2022 Extra Ordinary Part II Section 3 Sub section (II) (here in after referred to as the said notification) under subsection (I) of section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Rajkot Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper ' Sandesh and Times of India ' both dated 6/7/2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act, and. whereas, Objections have been received and disallowed by the Competent Authority.

And, whereas. in pursuance of sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub section (2) of section 20 E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Rajkot Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat

State: Gujarat

District: Rajkot

Sr. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be acquire (in sqm)	Name of Land Owner /interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluka : Rajkot					
Village : Madhapar					
1	22/1	Private	Non-Agriculture (12 metre Road	598.89	12 Metre Road) (Chetan Bhai Dhiraj Lal Rokad) (Nilesh Bhai Chhagan Bhai Shiyani)
2	5/1	Private	Agriculture	210.00	Suresh Bhai Gandu Bhai Bhavna Ben Suresh Bhai Moliya Akshit Bhai Suresh Bhai Moliya
3	5/2	Private	Agriculture	89.07	Bhanu Bhai Gandu Bhai
Total				897.96	
Taluka : Rajkot					
Village : Ghanteshwar					
1	66	Private	Agriculture	548.00	Radha Bai Labhu Bhai Ahir
2	28 Paiki	Government T.P. Deduction	Non-Agriculture	827.00	Government T.P. Deduction
3	28 Paiki 4 Paiki 2	Government Road Deduction	Non-Agriculture (30 metre Road)	795.00	Government Road Deduction
4	28 Paiki 3 Paiki 2	Government T.P. Deduction	Non-Agriculture (30 metre Road)	779.00	Government T.P. Deduction
5	67 Paiki 1	Private	Agriculture	219.00	Devayat Bhai Valera Bhai Humbal Manveer Bhai Valera Bhai Humbal Ashwin Bhai Valera Bhai Humbal
Total				3168.00	
Taluka : Rajkot					
Village : Para Pipaliya					
1	84/1	Private	Non-Agriculture (30 metre D.P. Road)	622.24	30 Metre D.P. Road (Hira Bhai Naran Bhai)

2	83/1	Private	Agriculture	499.00	Ramesh Bhai Raymal Bhai Karetha Anirudh Bhai Raymal Bhai Karetha
3	83/2	Private	Agriculture	657.00	Bhanu Bhai Ala Bhai Valu Ben Bhanu Bhai Karetha Vijay Bhai Bhanu Bhai Karetha Karan Bhai Bhanu Bhai Karetha Hansa Ben Bhanu Bhai Karetha W/O Rohit Bhai Dangar
4	83/3	Private	Agriculture	668.00	Geeta Ben Janak Bhai Maheta Uma Ben Manu Bhai Maheta Hitesh Kumar Bhanu Bhai Maheta Dipak Bhai Bachu Bhai Dangar Bharat Bhai Bachu Bhai Dangar
5	75	Private	Non- Agriculture (30 metre Road)	1661.00	30 Metre D.P. Road (Ashok Bhai Karshan Bhai Rathod)
6	74	Private	Agriculture	1609.00	Ganu Ben Meghji Bhai Jagdish Bhai Meghji Bhai Hasmukh Bhai Meghji Bhai Vikram Bhai Meghji Bhai
7	85	Private	Non- Agriculture (30 metre D.P.Road)	1203.00	30 Metre D.P. Road (Jethur Bhai Naran Bhai Rathod) (Dharmesh Bhai Naran Bhai Rathod)
8	72 Paiki 1 Paiki 1	Private	Agriculture	300.00	Madia Dilip Bhai Girdhar Lal
9	71 Paiki 2	Private	Agriculture	518.00	Vasta Bhai Rama Bhai
10	55	Private	Agriculture	44.00	Dilip Bhai Manek Chand Sheth Alka Ben Dilip Bhai Sheth Hardik Bhai Dilip Bhai Sheth Ankita Ben Dilip Bhai Sheth
Total				7781.24	

[F. No. E Office E- 369802-2]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager-II (Cons.) Ahmedabad